न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —157 / 2019

अनवान : —

1. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. सुरजाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. जयपालसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
4. सतवीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
5. आईसीआईसीआइ बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री पवन सिहाग **वादी**
श्री रोहताश शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 28/02/2020

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भांगवा के खाता सं0 139 / 138 के खसरा न0 275 की 10.154है0, खसरा न0 288 की 1.2010है0, कुल 11.3550है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा बेगाराज की खातेदारी हुआ करती थी। बेगाराज के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सुरजाराम के नाम विरासतन प्राप्त हुई है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी सुरजाराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सुरजाराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सुरजाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित हेाकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी ने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं0 6 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। राजीनामा पेश होनें के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने रोही मोजा भांगवा जमाबंदी संवत 2071–74 खाता सं0 139/138 प्रदर्श 1, खसरा गिरंदावरी खसरा सं0 275, 288 संवत 2020 जो प्रदर्श 2 व 3 है। नामांतरण सं0 608 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भांगवा प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा भांगवा के खाता सं0 139/138 के खसरा न0 275 की 10.154है0, खसरा न0 288 की 1.2010है0, कुल 11.3550है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भांगवा के खाता सं0 139/138 के खसरा न0 275 की 10.154है0, खसरा न0 288 की 1.2010है0, कुल 11.3550है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी में से वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैएवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —157/2019

अनवान : —

1. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. सुरजाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. जयपालसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
4. सतवीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
5. आईसीआईसीआइ बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण रोहताश शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही है कि रोही मोजा भांगवा के खाता सं0 139/138 के खसरा न0 275 की 10.154है0, खसरा न0 288 की 1.2010है0, कुल 11.3550है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी में से वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5—1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5—1/5 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:25:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: